Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI.:	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./3308 /2018

दिनांक : 13/ 6 /2018

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद की अनुमति से **श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद** को **बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट्स)** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **सत्र 2017–18** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।
7. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।

प्रो0 (संजय कुमार स्वर्णकार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रबन्धक/सचिव, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, बी0 ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. उपकुलसचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
8. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
9. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

प्रो0 (संजय कुमार स्वर्णकार)
कुलसचिव